

अध्याय II

नियम और विनियमों की अननुपालना

2.1 हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा रखे गये किये गये अभिलेखों का निरीक्षण किया और शुल्क भुगतान की सटीकता और सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति की जांच की। हमने ₹ 66.76 करोड़ के राजस्व वाले सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति और उपयोग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान के मामले पाये। हमने 54 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालयों को ये आपत्तियां प्रेषित की। मंत्रालय/आयुक्तालयों ने 49 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया (मार्च 2014) और ₹ 63.11 करोड़ राजस्व वाले इन सभी मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ/पूरी की। हमने इन पैराग्राफों का विवरण अनुबंध III में दर्शाया है।

2.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गैर-अदायगी/कम भुगतान

2.2.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गैर-अदायगी

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 का नियम 8 दर्शाता है कि एक महीने के दौरान फैक्टरी से निकाले गये माल पर शुल्क आगामी महीने की 5 तारीख तक और मार्च महीने में मार्च की 31 तारीख को अदा किया जाएगा। यदि कोई निर्धारित निर्धारित तिथि तक शुल्क राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, वह बकाया राशि ब्याज सहित अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 1 जून 2006 की अधिसूचना द्वारा संशोधित नियम 8 का उप-नियम 3(ए) बताता है कि यदि निर्धारित निर्धारित तिथि से तीस दिनों के बाद तक शुल्क भुगतान में असफल रहता है, तो निर्धारित बकाया राशि अदा करने की तिथि तक माल निकाले जाने के समय, प्रत्येक खेप के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किये बिना, उत्पाद शुल्क अदा करेगा और ऐसा करने में विफल रहने पर यह समझा जाएगा कि ऐसे माल की निकासी शुल्क के भुगतान के बिना की गई है और नियमों के अनुसार परिणाम और जुर्माने होंगे।

भुवनेश्वर-। आयुक्तालय में मै. श्री मैटालीक्स लिमि. अंगुल ने जनवरी 2011 से मार्च 2011 के दौरान शुल्क भुगतान में चूक की। उक्त प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती मार्च 2011 से खेप-वार निकासी हेतु सेनवेट क्रेडिट उपयोग किये बिना पीएलए द्वारा शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, यह देखा गया कि निर्धारिती ने बैंक में राशि के वास्तविक जमा से पूर्व पीएलए में क्रेडिट लिया और बाद की निकासियों हेतु खेप-वार शुल्क भुगतान किया जो सही नहीं था। अतः मार्च 2011 से अगस्त 2011 तक की गई ₹91.57 लाख शुल्क की निकासी अनियमित थी जिसे ब्याज और जुर्माने सहित वसूल किया जाना चाहिए था।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2013) तो मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि निर्धारिती से ₹91.57 लाख वसूल करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह पहले ही, यद्यपि देर से, भुगतान किया जा चुका है। केवल देरी से भुगतान हेतु ब्याज एवं जुर्माना वसूल किया जाना है। शुल्क, ब्याज और जुर्माने की वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका था।

तथापि मंत्रालय ने जनवरी 2011 से मार्च 2011 के लिए ₹56.42 लाख के शुल्क, जिसे अभी भी भुगतान किया जाना है, के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की।

2.2.2 अल्प मूल्यांकन के कारण देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियम 2000 के नियम 8 के अनुसार जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाता परंतु उसके द्वारा या उसकी तरफ से अन्य वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन में उपयोग किया जाता है, वहां मूल्यांकन ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11एबी दर्शाती है कि जहां उत्पाद शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया गया है, वहां शुल्क के अतिरिक्त निर्धारिती शुल्क अदा किये जाने वाले महीने के अगले महीने की पहली तिथि से ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कोलकाता ।। आयुक्तालय में मै. जिंदल इंडिया लिमि. ने 2010-11 के दौरान, घुसुरी में अपनी सहायक इकाई को स्टॉक स्थानांतरण आधार पर एमएस/इआरडब्ल्यू ट्यूब्स और स्टील पाइप (काला) की निकासी, सनदी

लेखाकार द्वारा निर्धारित और सत्यापित किये गए मूल्य की अपेक्षा कम निर्धारण योग्य मूल्य के शुल्क भुगतान पर की। इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज के अतिरिक्त ₹ 27.65 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2011), तो आयुक्तालय ने आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2011) कि निर्धारिती ने सनदी लेखाकार द्वारा प्रत्येक महीने के लिए महीने की 11 तारीख से आगामी महीने की 10 तारीख तक की अवधि हेतु निकासी किये गये माल हेतु बनाये और सत्यापित सीएस-4 प्रमाण पत्र के आधार पर शुल्क अदायगी की पद्धति को अपनाया था। इसके अतिरिक्त आयुक्तालय ने कहा कि इस पद्धति को अपनाने के कारण निर्धारिती ने कई बार देय शुल्क से अधिक शुल्क भी अदा किया।

आयुक्तालय का दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी अवधि में सहायक इकाई को निकास किये गये माल पर शुल्क उक्त अवधि हेतु सीएस-4 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर अदा किया जाना चाहिए। चूंकि निर्धारिती ने उक्त अवधि हेतु सीएस-4 के अनुसार लागू मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर शुल्क अदा किया, पूर्व के अवसरों में निर्धारिती द्वारा अधिक शुल्क भुगतान, जिसके लिए प्रतिदाय प्रावधान लागू थे, के तथ्य के बावजूद सीएस-4 के आधार पर लागू शुल्क का अंतर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था।

आयुक्तालय ने ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 87.68 लाख की राशि हेतु एससीएन जारी किये जाने के बारे में सूचित किया (सितम्बर 2012 और अक्टूबर 2012)।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2013) कि स्वयं उपभोग किये गये माल के लिए उत्पादन की लागत निर्धारिती द्वारा पिछले महीने में व्यय की गई वास्तविक लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है और कोई अंतर या कम भुगतान अनुमन्य क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है।

मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि किसी विशेष अवधि के लिए एक सहायक इकाई को निकास किये गये माल पर शुल्क केवल उक्त अवधि के लिए सीएस-4 प्रमाण पत्र के अनुसार निर्धारित मूल्य पर अदा किया जाना चाहिए। इसलिए निर्धारिती शुल्क का अंतर अदा करने के लिए उत्तरदायी था।

2.2.3 संबंधित इकाई को भेजे गये माल का कम निर्धारण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 9 के उपबंध के साथ पठित नियम 8 निर्धारित करता है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाता अपितु निर्धारिती द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसे माल का निर्धारण योग्य मूल्य, उस माल के विनिर्माण या उत्पादन की लागत का 110 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्पष्ट किया (13 फरवरी 2003) कि प्रयुक्त माल का मूल्य केवल लागत लेखांकन मानक (सीएस-4) के अनुसार की निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धारा 11 ए बी, शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के भुगतान को आवश्यक करती है।

पुणे III आयुक्तालय के अन्तर्गत में. हिंदुस्तान पॉलीएमाइड्स एण्ड फाइबर्स लि. ने अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान आंतरिक खपत के लिए कोरेगाँव में स्थित अपनी अन्य इकाई को कम्प्रेसड हाइड्रोजन गैस की निकासी की। तथापि निर्धारिती ने उपरोक्त दर्शाये गए प्रावधानों के अनुसार ऐसी निकासी के लिए निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात करने के लिए सीएस-4 तैयार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप आंतरिक खपत के लिए निकासित माल का कम मूल्यांकन हुआ तथा ₹ 10.63 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2011), तो निर्धारिती ने जुलाई 2011 में ₹ 10.63 लाख के शुल्क का भुगतान कर दिया। मंत्रालय ने ब्याज सहित राशि की वसूली की पुष्टि की (फरवरी 2014); तथापि, उसने आपत्ति स्वीकार नहीं की एवं बताया कि स्व-मूल्यांकन के युग में अनियमितता का पता केवल आन्तरिक लेखापरीक्षा के समय पर ही लगाया जा सकता था। उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए प्रासंगिक नहीं था एवं मंत्रालय से यह स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया (मार्च 2014) कि क्या उसका विचार यह था कि सीएस-4 प्रमाणपत्र तैयार ना करके निर्धारिती ने सही प्रक्रिया का पालन किया।

2.3 सेनवेट क्रेडिट

2.3.1 अयोग्य इनपुट/इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 के नियम 2(के) के अनुसार, इनपुट का अर्थ है अंतिम उत्पाद के निर्माता द्वारा फैक्टरी में प्रयुक्त सारा माल, उस माल को छोड़कर जिसका अंतिम उत्पाद के निर्माण के साथ कोई संबंध नहीं होता।

इंदौर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के अंतर्गत मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लि. ने 2011-12 के दौरान एंगल, नट, बोल्ट, चैनल, इलैक्ट्रोड, प्लेट, शीट आदि पर अदा किये गये शुल्क का ₹ 34.64 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। चूंकि इन मदों को इनपुट्स नहीं माना जा सकता, इन मदों पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना अनुचित था और ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2012), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (नवम्बर 2013) कि गलत रूप से प्राप्त किये गये सेनवेट क्रेडिट के लिए ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 1.16 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था।

2.3.2 छूट प्राप्त माल पर अदा किये गये शुल्क के लिए सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

4 जनवरी 1991 को सीबीईसी ने स्पष्ट किया कि निर्माता द्वारा अपनी इच्छा से सेनवेट क्रेडिट प्राप्ति छूट प्राप्त/शून्य दर वाले अंतिम उत्पाद पर शुल्क अदा करने की स्थिति में, भुगतान शुल्क की प्रकृति के नहीं होंगे और जमा के रूप में माने जाएंगे और इसलिए ऐसे इनपुट पर अदा किये गये शुल्क का क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना सं. 6/2002-सीई दिनांक 1 मार्च 2002, अधिसूचना सं. 4/2006-सीई दिनांक 1 मार्च 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अनुसार लौह अयस्क पर शुल्क की दर शून्य है।

भुवनेश्वर-1। आयुक्तालय में मै. टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड जो स्पंज लौह के निर्माण से जुड़ी थी, ने अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान खरीदे गये सान्द्र लौह अयस्क पर ₹ 2.11 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। चूंकि लौह अयस्क सांद्र शुल्क से छूट प्राप्त था, निर्धारिती द्वारा सान्द्र पर सेनवेट

क्रेडिट प्राप्त करना अनियमित था। अनियमित रूप से प्राप्त ₹ 2.11 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट ब्याज और जुर्माने सहित वापस किया जाना था।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2009), तो आयुक्तालय ने सूचित किया (मार्च 2012) कि जून 2009 से अप्रैल 2010 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 3.31 करोड़ के लिए जून 2010 एससीएन में जारी किया गया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और कहा (अगस्त 2013) कि {2003 (154) ईएलटी 65 (ट्राय-कोलकाता)} में दर्शाए गए मै. सेल के मामले में सेसटेट के निर्णय, कि लौह अयस्क चूरा और साइज्ड लौह अयस्क पर शुल्क देय नहीं है, को बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया था और अपील सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित थी।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त राजस्व अपील को निरस्त करते हुए और यह मानते हुए कि लौह अयस्क सान्द्र पर कोई शुल्क देय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा {2012 (283) ईएलटी ए 112 (एससी)} में पहले ही निर्णय दिया जा चुका था। इसलिए, उपर बताए गए बोर्ड के परिपत्र के अनुसार लौह अयस्क सान्द्र पर दिए गए शुल्क पर क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था।